षोडश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-20 बुधवार, दिनांक-30 मार्च, 2016 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.50 बजे अप० तक ।

[1] सूचना :-

सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के पश्चात् आसन से यह सूचना दी गई कि आज दिनांक-30 मार्च, 2016 के कार्यसूची के क्रमांक-12, 13, 14 एवं 15 पर अंकित वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी के स्थान पर वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव का नाम पढ़ा जायेगा ।

[2] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 27 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
(ii) 02 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।
(iii) 230 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[3] कार्यस्थगन :-

माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री विजय कुमार खेमका, श्री नीरज कुमार सिंह एवं श्री अरुण कुमार सिन्हा से प्राप्त कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गयी ।

[4] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्रीमती पूनम देवी यादव	(ii) श्री राम विशुन सिंह
(iii) श्री (डॉ०) सुनील कुमार	(iv) श्री प्रह्लाद यादव
(v) श्री ललन पासवान	(vi) श्री विनोद कुमार सिंह
(vii) श्री संजीव चौरसिया	(viii) श्री विजय कुमार सिन्हा
(ix) श्री सुबोध राय	(x) श्री मुद्रिका सिंह यादव
(xi) श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा	(xii) श्री मो० नेमतुल्लाह
(xiii) श्री अजमित ऋषिदेव	(xiv) श्री विनोद प्रसाद यादव
(xv) श्री अशोक कुमार सिंह	(xvi) श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव

(xvii) श्री समीर कुमार महासेठ
(xviii) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह
(xix) श्री रत्नेश सादा
(xx) श्री विजय कुमार खेमका
(xxi) श्री विद्या सागर केशरी
(xxii) श्री वशिष्ठ सिंह
(xxiii) श्री (डॉ०) चतुर्भुज नाथ गुप्ता
(xxiv) श्री मिथिलेश तिवारी
(xxv) श्री संजय सरावगी
(xxvi) श्री नीरज कुमार सिंह
(xxvii) श्री सरोज यादव

(xxviii) माननीय सदस्य श्री सत्यदेव सिंह द्वारा शून्यकाल की सूचनान्तर्गत सीवान जिला में घटित कतिपय घटनाओं का उल्लेख करते हुए माँग की गई कि ऐसी घटनाओं के पीछे बजरंग दल का हाथ है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाय ।

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री श्रवण कुमार द्वारा कहा गया कि इसकी जाँच कराकर कार्रवाई की जायेगी ।

[5] <u>ध्यानाकर्षण सूचनाएँ</u> :-

(i) माननीय सदस्य श्री श्याम रजक का समाज कल्याण विभाग से संबंधित दिनांक 18 मार्च, 2016 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा द्वारा दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री नितिन नवीन एवं अन्य सभासदों का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(iii) माननीय सदस्य श्री ललन पासवान एवं अन्य सभासदों का जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया एवं माननीय प्रभारी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा उत्तर दिया गया ।

तदोपरान्त सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

<u>भोजनावकाश के बाद</u>

(02.00 बजे अप० से 4.25 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[6] <u>विधायी कार्य</u> :- <u>राजकीय विधेयक</u> :-

(i) **<u>बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2016</u> :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, श्री अब्दुल जलील मस्तान द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा एवं श्री संजय सरावगी द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना-अपना पक्ष रखा ।

माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्रीमती गायत्री देवी, श्री विजय कुमार सिन्हा एवं श्री संजय सरावगी द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना-अपना पक्ष रखा । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री प्रेम कुमार द्वारा विधेयक पर अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम, श्री सदानंद सिंह एवं श्री महेश्वर प्रसाद यादव द्वारा भी विधेयक के विषय में अपना पक्ष रखा ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी विधेयक पर विस्तार से अपना विचार रखा गया तथा इसे सर्वसम्मति से स्वीकृत करने का आग्रह किया गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा भी पक्ष रखा गया । विधेयक सर्वसम्मति से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

विधेयक की स्वीकृति के उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय सहित सदन के सभी माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट से खड़े होकर यह संकल्प लिया कि ''न शराब पीयेंगे और सदन के बाहर के लोगों से भी सरकार के नियमों के अनुरूप शराब न पीने के लिए प्रेरित करेंगे ।''

(ii) **बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक, 2016** :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री संजीव चौरसिया द्वारा जनमत जानने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी का खण्ड-2, 3 एवं 4 में दिया गया संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री प्रेम कुमार द्वारा विधेयक पर अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया ।

''आसन से कहा गया कि सदन की सहमति से कार्यवाही चलने तक सदन की अवधि का विस्तार किया जाता है ।''

विधेयक का सदन से स्वीकृति के प्रश्न पर विपक्ष के द्वारा मत विभाजन की मांग की गयी । तद्नुसार सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर मत विभाजन में भाग लिया । विधेयक 37 के मुकाबले 105 मतों से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iii) **बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016** :-

माननीय प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग, श्री कपिलदेव कामत द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी का खण्ड-2 में दिया गया संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री प्रेम कुमार द्वारा विधेयक पर अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन से स्वीकृत हुआ ।

[7] **निवेदन** :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-32 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

[8] **शोक प्रकाश** :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्व० कृष्णनन्दन प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०स० एवं स्व० लाल मुनी चौबे, पूर्व लोक सभा सदस्य एवं पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के निधन पर शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की चिरशांति एवं शोकाकुल परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की ।

तदुपरांत सभी माननीय सदस्यों ने खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि शोक संवेदना सम्बन्धित शोकाकुल परिवारों के पास भेज दिया जाय ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 31 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-30 मार्च, 2016

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।